

2/CMT-Pol.-24/2006 3652. Date : 22/7/2010

Form LTC

[Rule 163E (6)]

Form of License to Establish Pollution Testing Station.

License No.- 139/2010

1. A License is hereby granted to Sri Rajesh Kumar, S/O- Sri Anil Kumar Singh to establish a pollution testing station. The P.T.S. will be established at place/building, Raj Fitness Center, Safiabab, NH-80, Munghyer.
2. The PTS is authorized to test the following types of vehicles :-
 - (a) Petrol
 - (b) Diesel
 - (c) Petrol/Diesel both

Under Motor Vehicle Act 1998, Central Motor Vehicle Rules 1989 & Bihar Motor Vehicle Rules, 1992.

4. The License will be valid from 26.07.2010 to 25.07.2012.

Renewed License :- 26.07.2018 to 25.07.2020

Date:

Seal

No 9313
18/12/18

उमेश कुमार
परिवहन विभाग
बिहार, पटना

Signature of Licensing
Authority
परिवहन विभाग
बिहार, पटना

The license is hereby renewed from : 26/07/2012 to 25/07/2014
The license is hereby renewed from 26.07.2014 to 25.07.2018
26.07.2016 to 25.07.2018

18/11

(Signature of License Authority)
परिवहन विभाग (मुख्यालय)
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

नोट :- यह अनुज्ञप्ति पारपृष्ठ पर उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

शर्तें:-

1. एक वार्षिक पंजी का संधारण, जिसमें प्रदूषण उत्सर्जन स्तर के लिये जाँच किये गये मोटर वाहनों की विशिष्टियों का उल्लेख रहेगा ।
 - (i) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र संख्या ।
 - (ii) जाँच किये गये वाहन की निबंधन संख्या, निर्माता, मॉडल तथा निबंधन का रंग ।
 - (iii) निरीक्षण के समय गैस/धुएँ का स्तर/कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत ।
2. निरीक्षण किये गये मोटर वाहन की निबंधन संख्या, निरीक्षण के परिमाण तथा निर्गत किये गये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की संख्या के संबंध में जानकारी देते हुए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अगले माह के पाँच तारीख तक मासिक प्रतिवेदन देना ।
3. अपने केन्द्र पर मोटर यान निरीक्षक या परिवहन विभाग के उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये खुला रखना साथ ही केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख उपलब्ध कराना ।
4. मोटर वाहन की किसी भी त्रुटि को दूर करना, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-115 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुपालन ।
5. बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2003 के नियम-163 'ग' के अधीन विहित फीस से अधिक प्रचारित नहीं करना ।
6. अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्व-सूचना के बिना जाँच केन्द्र को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित परिसर से न हटाना ।
7. प्रदूषण जाँच के लिए मोटर वाहन देने वाले मालिक या चालक के वाहन ही जाँच शीघ्र की जाएगी तथा उन्हें जाँच केन्द्र का मालिक अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र शीघ्र देगा।
8. प्रदूषण जाँच केन्द्र का मालिक चालन को संकेत देते हुए प्रदूषण जाँच केन्द्र नामक एक साईन बोर्ड सहज दृश्य स्थल पर लगायेगा जिसमें उसका नाम, अनुज्ञप्ति संख्या तथा स्थान का नाम उल्लिखित रहेंगे ।
9. प्रदूषण जाँच केन्द्र का मालिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की 100 पन्नों की तीन प्रतियों में बंधी हुई पुस्तिका, प्रत्येक पर क्रम से नम्बर अंकित होगी, संधारित करेगा और प्रत्येक पुस्तिका अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रेषित होगी ।
10. अनुज्ञप्तिधारी को विभागीय अधिसूचना संख्या-3144 दिनांक-05.08.04 एवं विभागीय परिपत्र संख्या-064 दिनांक-12.10.04 में निहित शर्तों का पालन करना होगा ।
11. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
12. प्रदूषण जाँच केन्द्र में वेब-कैमरा का ही प्रयोग किया जायेगा । उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी ।

विशेष प्राधिकारी